बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/ पटना, दिनांकः–..............................

सं सं0–09/उ०नि०/विविध/(डी0आई0सी0)–02/2023

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल बजट उपबंधित राशि रू 46,00,000.00 (रूपये छियालीस लाख मात्र) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल बजट उपबंधित राशि रू 46,00,000.00 (रूपये छियालीस लाख मात्र) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम का उद्देश्य जिला उद्योग केन्द्रों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि जिला उद्योग केन्द्र विकसित क्षमता के साथ कार्य कर सके। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों से माँग एवं उपलब्ध बजट के आधार पर प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्रों को आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु संलग्न परिशिष्ट के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का व्यय जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अपने कार्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास हेतु सामग्रियों के क्रय पर किया जाएगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि बजट शीर्ष : मांग संख्या–23, मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23–2852801020163, अंतर्गत विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय मद मे उपबंधित राशि से रू 46,00,000.00 (रूपये छियालीस लाख मात्र) विकलनीय होगा, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ठ बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–09/उ0नि0/विविध (डी0आई0सी0)–02/2023 के पृष्ठ–27/टि0 पर दिनांक–03.02.2026 को प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर..

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं0–09 / उ०नि० / विविध (डी0आई0सी0)–02 / 2023 के पृष्ठ–29 / टि0 पर दिनांक–09.02.2026 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 / वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ / पटना, दिनांक........................
संसं0–09 / उ०नि० / विविध / (डी0आई0सी0)–02 / 2023
प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 613 / पटना, दिनांक 18-02-26
संसं0–09 / उ०नि० / विविध / (डी0आई0सी0)–02 / 2023
प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालय / बजट शाखा, उद्योग विभाग / प्रशाखा–1, योजना शाखा (स0) / महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-02-26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित विभिन्न सामाग्रियों का क्रय करने हेतु आवंटन राशि की विवरणी :–

क्र० सं0	कार्यालय का नाम	आवंटन राशि
1	2	3
1	नवादा	1,12,000.00
2	भोजपुर	1,12,000.00
3	जहानाबाद	1,12,000.00
4	वैशाली	1,12,000.00
5	शिवहर	1,12,000.00
6	समस्तीपुर	1,12,000.00
7	पूर्णिया	1,50,000.00
8	मधेपुरा	1,12,000.00
9	प0 चम्पारण	1,12,000.00
10	रोहतास	1,12,000.00
11	सिवान	1,12,000.00
12	लखीसराय	1,12,000.00
13	शेखपुरा	1,12,000.00
14	सुपौल	1,12,000.00
15	कैमूर	1,12,000.00
16	बक्सर	1,12,000.00
17	किशनगंज	1,12,000.00
18	पटना	1,52,000.00
19	भागलपुर	1,50,000.00
20	सीतामढ़ी	1,12,000.00
21	बेगूसराय	1,12,000.00
22	खगड़िया	1,12,000.00
23	जमूई	1,12,000.00
24	गया	1,50,000.00
25	सारण	1,50,000.00
26	मुंगेर	1,50,000.00
27	गोपालगंज	1,12,000.00
28	पूर्वी चम्पारण	1,12,000.00
29	अररिया	1,12,000.00
30	मधुबनी	1,12,000.00
31	औरंगाबाद	1,12,000.00
32	अरवल	1,12,000.00
33	नालन्दा	1,12,000.00
34	दरभंगा	1,50,000.00
35	कटिहार	1,12,000.00
36	बांका	1,12,000.00
37	मुजफ्फरपुर	1,50,000.00
38	सहरसा	1,50,000.00
	कुल राशि	**46,00,000.00 (रूपये छियालीस लाख रूपये मात्र)**

10/02/26

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

il Letter